अनुदान संख्या 53 - चंडीगढ़
GRANT No. 53 - CHANDIGARH

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged-*					
मूल	*Original*	*36,41,00*		*37,90,00*	*37,65,01*	*-24,99*
पूरक	*Supplementary*	*1,49,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	4807,05,00		5268,77,00	5268,70,77	-6,23
पूरक	Supplementary	461,72,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
प्रभारित–	*Charged-*			*1,00,00*	..	*-1,00,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*1,00,00*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	538,33,00		538,40,00	472,44,49	-65,95,51
पूरक	Supplementary	7,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					65,93,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, समग्र बचतें (*₹ 24.99 लाख*) दिसम्बर, 2022 में प्राप्ति *₹ 149.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 17 प्रतिशत है और कुल स्वीकृत *विनियोग* का लगभग 1 प्रतिशत है।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹ 24.99 lakhs*) constituted 17 percent of the supplementary *appropriation* of *₹ 149.00 lakhs* obtained in December, 2022 and nearly 1 percent of the total sanctioned *appropriation*.

(I) एक शीर्ष के तहत *₹ 10.00 लाख* का *विनियोग* पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹10.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :—

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	44032.00			
पू.	S.	13200.00	57421.22	57421.09	-0.13
पु.	R.	189.22			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	54734.00			
पू.	S.	10000.00	63104.73	63104.28	-0.45
पु.	R.	-1629.27			
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण	Public Works				
मू.	O.	14992.00			
पू.	S.	1963.00	18349.84	18349.75	-0.09
पु.	R.	1394.84			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	61450.00			
पू.	S.	9221.00	70850.32	70848.90	-1.42
पु.	R.	179.32			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2203"	Major Head "2203"				
तकनीकी शिक्षा	Technical Education				
मू.	O.	11923.00			
			11503.64	11503.48	-0.16
पु.	R.	-419.36			
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	62249.00			
पू.	S.	1.00	63839.46	63839.38	-0.08
पु.	R.	1589.46			
मुख्य शीर्ष "2236"	Major Head "2236"				
पोषण	Nutrition				
मू.	O.	1700.00			
			723.99	723.98	-0.01
पु.	R.	-976.01			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
विद्युत	Power				
मू.	O.	93675.00			
पू.	S.	4000.00	93968.13	93968.10	-0.03
पु.	R.	-3706.87			
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	24979.00			
पू.	S.	3412.00	32358.85	32358.74	-0.11
पु.	R.	3967.85			

(I) पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत ₹786.10 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा :–

(का) मुख्य शीर्ष “2014” – “सिविल और सत्र न्यायालय – स्थापना” में दर्शाया गया है – ₹4775.00 लाख का मूल प्रावधान दिसंबर, 2022 में ₹200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹4975.00 लाख तक बढाया गया, जो विद्युत, पानी, टेलीफोन और ईंधन के कम संख्या में बिल प्राप्त होने के कारण ₹126.28 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “2055” – “जिला पुलिस – चंडीगढ़” – ₹42601.70 लाख का मूल प्रवधान दिसंबर, 2022 में ₹10000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹52601.70 लाख तक बढाया गया जो तथापि छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन नियतन नहीं हो पाने और शस्त्र और गोलाबारूद की खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण ₹1201.09 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष “2059” – “सामान्य – निदेशन और प्रशासन – कार्यकारी स्थापना” – ₹3793.07 लाख का मूल प्रावधान दिसंबर, 2022 में ₹1963.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹5756.07 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन नियतन नहीं हो पाने और अन्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण ₹837.90 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष “2801” – “पारेषण और वितरण – चंडीगढ में विद्युत पारेषण और वितरण” के अंतर्गत – ₹92675.00 लाख का मूल प्रावधान दिसंबर, 2022 में ₹4000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹96675.00 लाख तक बढाया गया, जो, तथापि, विद्युत की कम खरीद के कारण ₹3206.90 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹786.10 lakhs remained wholly unutilized under fifteen heads.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each :-

(A) Major Head “2014” - “Civil and Session Courts - Establishment” - the original provision of ₹4775.00 lakhs was augmented to ₹4975.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹200.00 lakhs in December, 2022 which, however, remained unutilised to the extent of ₹126.28 lakhs - due to receipt of less bills of electricity, water, telephone and fuel.

(B) Major Head “2055” - “District Police - Chandigarh” - the original provision of ₹42601.70 lakhs was augmented to ₹52601.70 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10000.00 lakhs in December, 2022 which, however, remained unutilised to the extent of ₹1201.09 lakhs - due to non-fixation of pay as per recommendations of 6th Punjab Pay Commission and delay in finalization of proposal for purchase of arms and ammunition.

(C) Major Head “2059” - “General - Direction and Administration - Executive Establishment” - the original provision of ₹3793.07 lakhs was augmented to ₹5756.07 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1963.00 lakhs in December, 2022 which, however, remained unutilised to the extent of ₹837.90 lakhs - due to non-fixation of pay consequent of 6th Punjab Pay Commission recommendations and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(D) Major Head “2801” - “Transmission and Distribution - Transmission and Distribution of Power in Chandigarh - Distribution of Power” - the original provision of ₹92675.00 lakhs was augmented to ₹96675.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4000.00 lakhs in December, 2022 which, however,

remained unutilised to the extent of ₹3206.90 lakhs - due to purchase of less power.

(III) मुख्य शीर्ष "2203" – "अभियांत्रिकी / तकनीकी कालेज और संस्थान – पंजाब इंजीनियरिंग कालेज" के अंतर्गत – ₹625.00 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निधियों के कम उपयोग के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2203" - "Engineering/ Technical Colleges and Institutes - Punjab Engineering College" - saving of ₹625.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to less utilization of funds by the implementing agency.

(IV) मुख्य शीर्ष "2236" – "पोषण आहार और पेय पदार्थों का वितरण – मध्याह्न भोजन – बच्चों के लिए मध्याह्य भोजन" के अंतर्गत – ₹550.06 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पी एम पोषण योजना के अंतर्गत कुक–सह–हेल्पर के भुगतान और परिवहन शुल्कों के भुगतान के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2236" - "Distribution of Nutritious Food and Beverages - Mid-Day Meals - Mid-Day Meals for Children" - saving of ₹550.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for payment of cook-cum-helper and transportation charges under PM Poshan Scheme.

(V) दस शीर्षों के अंतर्गत ₹3735.43 लख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक थी।

(V) Under ten heads savings of ₹3735.43 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent to 85 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4938.85 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2022 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3413.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

3.(I) The above savings were partly (₹4938.85 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹3413.00 lakh in December, 2022 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2217" – "सामान्य – स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणो, शहर सुधार बोर्डों आदि को सहायता" –

(क) "नगर पालिका चंडीगढ़" – ₹699.50 लाख।

(ख) "चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी" – 617.50 लाख।

(A) Major Head "2217" - "General- Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc." -

(a) "Municipal Corporation Chandigarh" - ₹699.50 lakhs.

(b) "Chandigarh Smart City" - ₹617.50 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3055" – "चंडीगढ परिवहन उपक्रम"–

(B) Major Head "3055" - "Chandigarh Transport Undertaking" -

(क) "प्रबंधन" – ₹445.64 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹445.60 लाख था।

(ख) "संचालन" – ₹2696.95 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2696.89 लाख था।

(ग) "मरम्मत और रखरखाव" – ₹479.26 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹479.25 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(का) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – रखरखाव और मरम्मत" –

(क) "भवनों की मरम्मत और रखरखाव" – ₹1284.80 लाख का अधिक व्यय (₹5238.38 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपत्ति कर, आउटसोर्स स्टाफ की संवर्धित जिला कलेक्टर दरों/मजदूरी और स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "स्थापना" – ₹690.29 लाख का अधिक व्यय (₹3576.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार संशोधित वेतन और बकाया राशि के भुगतान और अपेक्षाकृत अधिक संख्या में चिकित्सा दावों की प्राप्ति के कारण अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2202" – "माध्यमिक शिक्षा – सरकारी माध्यमिक स्कूल – माध्यमिक स्कूल" – ₹565.12 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹3300.00 लाख के पूरक अनुदान सहित कुल ₹20258.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के चलते बकाया राशि और संशोधित वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, आउटसोर्स कर्मचारियों की संवर्धित डी सी दरों/मजदूरी और फर्नीचर और फिक्चर और पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(a) "Management" - ₹445.64 lakhs. Actual excess, however, was ₹445.60 lakhs.

(b) "Operation" - ₹2696.95 lakhs. Actual excess, however, was ₹2696.89 lakhs.

(c) "Repairs and Maintenance" - ₹479.26 lakhs. Actual excess, however, was ₹479.25 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2059" - "General - Maintenance and Repairs" -

(a) "Repairs and Maintenance of Buildings"- excess of ₹1284.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5238.38 lakhs) was due to requirement of additional funds towards property tax, enhanced DC rates/wages of outsourced staff and maintenance of street lights.

(b) "Establishment" - excess of ₹690.29 lakhs (against the sanctioned provisions of ₹3576.90 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of arrears and revised salary owing to 6th Punjab Pay Commission recommendations and receipt of more medical claims.

(B) Major Head "2202" - "Secondary Education - Government Secondary Schools - Secondary Schools" - excess of ₹565.12 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹20258.90 lakhs including supplementary grant of ₹3300.00 lakhs obtained in December, 2022) was due to requirement of additional funds towards payment of arrears and revised salary owing to 6th Punjab Pay Commission recommendations, enhanced DC rates/wages of outsourced staff and purchase of furniture and fixtures and library books.

(III) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹2379.84 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम था और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 7800 प्रतिशत तक था ।

(III) Under seven heads excess of ₹2379.84 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 10 percent to 7800 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, एक शीर्ष के तहत *₹100.00 लाख* का *विनियोग* पूर्णतः अप्रयुक्त रहा और अंततः इसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of *₹100.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	9323.00			
पू.	S.	1.00	9551.27	9549.16	-2.11
पु.	R.	227.27			
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education Sports, Art and Culture				
मू.	O.	7799.00			
पू.	S.	1.00	6976.28	6976.16	-0.12
पु.	R.	-823.72			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4217"	Major Head "4217"				
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on on Urban Development				
मू.	O.	11004.00			
पू.	S.	1.00	13099.46	13099.40	-0.06
पु.	R.	2094.46			
मुख्य शीर्ष "4235"	Major Head "4235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Social Security and Welfare				
मू.	O.	697.00			
पू.	S.	1.00	1388.00	1387.96	-0.04
पु.	R.	690.00			
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	7158.00			
			1839.00	1839.00	..
पु.	R.	-5319.00			
मुख्य शीर्ष "5055"	Major Head "5055"				
सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	4317.00			
पू.	S.	1.00	2872.07	2872.04	-0.03
पु.	R.	-1445.93			

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹207.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष "4055" – "पुलिस आवास – भवन" के अंतर्गत – ₹805.40 लाख की बचत (₹6847.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ सशस्त्र पुलिस के लिए 144 नं आवास भाग–II के निर्माण के लिए अनुमोदन नहीं मिलने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4202" – "तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग तकनीकी कालेज और संस्थान – पंजान इंजीनियरिंग कालेज, चंडीगढ़" – ₹897.56 लाख की बचत (₹2110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विन्ध्य होस्टल, रिसर्च स्कालर होस्टल, ब्वायेज होस्टल के लिए अनुमोदन नहीं मिलने और पंजाब इंजीनियरिंग कालेज में कुरुक्षेत्र होस्टल के लिए निविदा को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "4801" – "पारेषण और वितरण – चंडीगढ़ में विद्युत का पारेषण और वितरण – विद्युत का वितरण" के अंतर्गत – ₹5319.00 लाख की बचत (₹7158.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत मंत्री द्वारा पैन सिटी परियोजना को छोड़ने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "5055" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) "बेड़े का अधिग्रहण – चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम" के अंतर्गत – ₹1310.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावित बहुमंजिली पार्किंग के संशोधित आरेखन को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और सेक्टर 43 चंडीगढ़ में अंतर–राज्य बस टर्मिनल में स्थानीय बस स्टेंड के विस्तार का अनुमोदन मिलने में देरी होने के कारण हुई।

(खा) "चंडीगढ परिवहन उपक्रम – बस स्टेंडों का विस्तार और विकास" – ₹1164.95 लाख की बचत (₹1647.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बहुमंजिली पार्किंग और अंतर राज्य बस टर्मिनल के विस्तार की योजना को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹207.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

(II) Under Major Head "4055" - "Police Housing - Building" - saving of ₹805.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6847.00 lakhs) was due to non- approval of work of 144 Nos House Part-II Chandigarh Armed Police.

(III) Under Major Head "4202" - "Technical Education- Engineering Technical Colleges and Institutes - Punjab Engineering College, Chandigarh"- saving of ₹897.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2110.00 lakhs) was due to non-approval of Vindhya Hostel, Research Scholar Hostel, Boys Hostel and delay in finalization of tender for Kurukshetra Hostel in Punjab Engineering College.

(IV) Under Major Head "4801" - "Transmission and Distribution- Transmission and Distribution of Power in Chandigarh - Distribution of Power" - saving of ₹5319.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7158.00 lakhs) was due to dropping of Pan City Project by Ministry of Power.

(V) Under Major Head "5055" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Acquisition of Fleet - Chandigarh Transport Undertaking" - saving of ₹1310.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-finalization of revised drawing of proposed multilevel parking and delay in receipt of approval of extension of local bus stand at Inter-State Bus Terminus Sector 43, Chandigarh.

(B) "Chandigarh Transport Undertaking - Expansion and Development of Bus Stands" - saving of ₹1164.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1647.00 lakhs) was due to non-finalisation of scheme for multilevel parking and extension of Inter-State Bus Terminus.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1018.47 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक, किंतु ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 17 प्रतिशत थी ।

(VI) Under three heads savings of ₹1018.47 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent to 17 percent of the sanctioned provision.

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹5183.34 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसम्बर, 2023 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

5.(I) The above savings were partly (₹5183.34 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs in December, 2022 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष – "4055" – "राज्य पुलिस – अन्य संबद्ध कार्य" – ₹1032.66 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹1030.56 लाख था।

(A) Major Head - "4055" - "State Police - Other Allied Works" - ₹1032.66 lakhs. Actual excess, however, was ₹1030.56 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "4202" – "तकनीकी शिक्षा – पॉलीटेक्निक – इंजीनियरिंग डिग्री विंग" – ₹357.11 लाख। तथापि, वास्तविक व्यय ₹357.10 लाख था।

(B) Major Head "4202" - "Technical Education - Polytechnics - Engineering Degree Wing" - ₹357.11 lakhs. Actual excess, however, was ₹357.10 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "4217" – "राज्य की राजधानी का विकास – निर्माण – अन्य योजनायें" – ₹2082.07 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹2082.04 लाख था।

(C) Major Head "4217" - "State Capital Development - Construction - Other Schemes" - ₹2082.07 lakhs. Actual excess, however, was ₹2082.04 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष "4235" – "सामाजिक कल्याण – बाल कल्याण – मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए भवन" – ₹667.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹667.48 लाख था।

(D) Major Head "4235" - "Social Welfare - Child Welfare - Building for Mentally Retarded Children" - ₹667.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹667.48 lakhs.

(ङ) मुख्य शीर्ष "5055" – "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम– वर्कशाप का विस्तार और विकास" – ₹1044.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1043.99 लाख था।

(E) Major Head "5055" - "Chandigarh Transport Undertaking - Expansion and Development of Workshop" - ₹1044.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1043.99 lakhs.